# महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/मु.भ./क्रय/02/2019-20/ 8746 - 57 दिनांक: 16-5-2019

## खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महानिदेशालय कारागार, राजस्थान घाटगेट, जयपुर पर उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, स्केनर, यूपीएस, यूपीएस बैटरी, फैक्स मशीन, इंटरनेट लाईन, फोटो स्टेट मशीन, वाई-फाई की मरम्मत मय पार्ट्स के वार्षिक रख-रखाव किये जाने तथा प्रिन्टर्स एवं फोटोस्टेट मशीन में टोनर रिफलिंग हेतु दरें आमंत्रित की जाती है।

अत: जो भी बोलीदाता उक्त कार्य हेतु अपनी दरें देने का इच्छुक है वह उक्त कार्य की दरें दिनांक 24/05/2019 तक सीलबंद लिफाफे में दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत करे, प्राप्त बोलियों को दिनांक 24/05/2019 को दोपहर 2.00 बजे खोला जायेगा। बोली का अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि रूपये 5.00 लाख है। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/- जमा करानी होगी। बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रूपये है। जो नियमानुसार नकद राशि/डीडी/बैंकर चैक आदि जमा कराकर इस कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है अथवा निम्नाकिंत बैवसाईट से डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क सहित भी प्रस्तुत की जा सकती है। कम्प्यूटर, उपकरणों की सूची व कार्य विवरण तथा बोली शर्तो का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है जो सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार की वैबसाइट "www.dipr.rajasthan.gov.in" एवं कारागार विभाग की बैबसाइट "www.home.rajasthan.gov.in" एवं "www.sppp.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

(रूपिन्दर सिंघ)
महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य..........................................।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय।
4. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) के अनुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
5. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि खुली प्रतियोगी दर अनुबंध बोली आमंत्रण सूचना को विभागीय बैवसाईट एवं एसपीपीपी पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक कारागार-I
राजस्थान जयपुर

प्रपत्र–''ए''

# महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर

## -: बोली की शर्ते :-

## (वार्षिक रख-रखाव की शर्ते)

1. बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि के रूप में कार्य हेतु वार्षिक व्यय अनुमान राशि के 2 प्रतिशत के बराबर राशि का डी.डी. या नकद जमा चालान संलग्न करना होगा।
2. अनुबंधकर्ता फर्म को इस कार्य हेतु विभाग के साथ वार्षिक व्यय अनुमान की कुल राशि के 0.25 प्रतिशत के बराबर राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। वार्षिक व्यय अनुमान की 5% के बराबर राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में आदेश प्राप्त होने के 7 (सात) दिवस की अवधि में जमा करानी होगी जो कि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के पक्ष में डी.डी./बैकर्स चैक/नकद द्वारा जमा करवायी जा सकती है।
3. वार्षिक रख-रखाव दिनांक 31.03.2020 तक के लिये होगा जो कि आपसी सहमति से तीन माह तक बढ़ाया भी जा सकेंगा।
4. संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर से संबंधित सभी उपकरण की देख-रेख एवं मरम्मत कार्य मय पार्टस् अनुबंध में शामिल होंगे।
5. टोनर रिफलिंग की क्वालिटी उच्च स्तर की होनी आवश्यक है। रिफलिंग संतोषप्रद नही पाये जाने पर बोलीदाता को पुनः रिफलिंग करनी होगी, जिसके लिए विभाग द्वारा अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।
6. प्रत्येक माह में एक बार परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित समस्त उपकरणों की अनिवार्य रूप से सर्विस करनी होगी तथा सर्विस के पश्चात् संबंधित प्रभारी से ''समस्त उपकरण सही कार्य रहे का प्रमाण पत्र लेना'' अनिवार्य होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा बुलाये जाने (दूरभाष/पत्र) पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिवस उपस्थित होकर शिकायत का निराकरण करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो (अनुबंधकर्ता फर्म से) प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 200/- (अक्षरे रूपये दौ सौ मात्र) का जुर्माना वसूल किया जायेगा।
7. नया सामान लगाने की स्थिति में कम्पनी दर देय होगी तथा उस सामान का गारंटी कार्ड प्रस्तुत करना अथवा गारंटी समय अंकित करना आवश्यक होगा।
8. सर्विस एवं अन्य संबंधित कार्यो के लिए उपस्थित होने पर कार्यालय भण्ड़ारपाल के पास उपलब्ध पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

9. कार्य उपरान्त प्रस्तुत बिलों का भुगतान बजट उपलब्धता पर, कोषालय से पारित होने पर किया जावेगा। वार्षिक रख-रखाव की राशि का भुगतान 4 किश्तों में प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
10. अनुबंधकर्ता फर्म को बिल के साथ समस्त ओ.के. कॉल रिपोर्टस संलग्न करनी होगी।
11. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं करने पर उनके द्वारा जमा करायी गयी सुरक्षित राशि जब्त करते हुए, उनकी रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य करवा लिया जायेगा।
12. साफ्टवेयर को दुरूस्त/अपडेट करने का कार्य वार्षिक रख-रखाव में सम्मिलित होगा।
13. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, स्केनर, यूपीएस, यूपीएस बैटरी, फैक्स मशीन, इंटरनेट लाईन, फोटो स्टेट मशीन, वाई-फाई इत्यादि की मरम्मत करने के उपरान्त यदि कोई पार्ट्स बदला जाता है तो बदले गये संबंधित पार्ट्स को भण्ड़ारपाल को जमा करवाना होगा।
15. बोली के साथ बोली दस्तावेज के समस्त पत्रादि यथा शर्ते, प्रपत्र "ए" परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" व एनेक्चर "A" "B" "C" "D" आदि हस्ताक्षर मय मोहर संलग्न प्रस्तुत करने होगें।
15. समस्त कार्य मय पार्ट्स में राशि रूपये 5,00,000/- वार्षिक अनुमान है। जिसमें कमी एवं वृद्धि हो सकती है।
16. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं करने पर अनुबंध कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
17. बोलीदाता की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

**परिशिष्ट "अ"**

## ।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ।।

### :: बोली प्रारूप ::

1. महानिदेशालय कारागार, राजस्थान घाटगेट, जयपुर पर उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, स्केनर, यूपीएस, यूपीएस बैटरी, फैक्स मशीन, इंटरनेट लाईन, फोटो स्टेट मशीन, वाई-फाई की मरम्मत मय पार्ट्स एवं वार्षिक रख-रखाव किये जाने तथा प्रिन्टर्स एवं फोटोस्टेट मशीन में टोनर रिफलिंग हेतु बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या : ---------------------------------------------------
   ---------------------------------------------------
   ---------------------------------------------------
   ---------------------------------------------------
3. किसको संबोधित की गई। महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर।
4. संदर्भः- सामान्य/क्रय/मु.भ./02/2019-20/..................दिनांकः .........
5. बोली प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये -----------------नकद रसीद संख्या---------------दिनांक ----------- /डी.डी. अथवा बैकर्स चैक संख्या ------------ दिनांक --------- के द्वारा जमा कर दी गयी है।
6. हम महानिदेशालय कारागार, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या सामान्य/क्रय/मु.भ./02/2019-20/------------------------ दिनांक------------ में वर्णित सभी शर्तो मय परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द" व एनेक्चर "A" "B" "C" "D" (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) तथा दी गई उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. आदेश जारी करने की दिनांक से महानिदेशालय कारागार, राजस्थान घाटगेट, जयपुर पर उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, स्केनर, यूपीएस, यूपीएस बैटरी, फैक्स मशीन, इंटरनेट लाईन, फोटो स्टेट मशीन, वाई-फाई की मरम्मत मय पार्ट्स एवं वार्षिक रख-रखाव किये जाने तथा प्रिन्टर्स एवं फोटोस्टेट मशीन में टोनर रिफलिंग करने का कार्य प्रारम्भ करना होगा।
8. फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है।
9. उद्धृत की गई दरें दिनांक 31.03.2020 तक के लिये विधिमान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर तीन माह के लिए नियमानुसार बढाया भी जा सकेगा।
10. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या --------- जो (बैंक का नाम) ------------------------------------- पर आहरित किया गया है/नकद रसीद संख्या ------------ चालान संख्या------------- दिनांक --------- राशि रूपये --------- संलग्न है।
11. फर्म/ठेकेदार का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. बोली दरें संलग्न निविदा प्रपत्र (वित्तीय बिड) में ही प्रस्तुत की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

**No Over writing**

**परिशिष्ट "ब"**

# कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

निविदा - प्रपत्र (वित्तीय बिड)

## महानिदेशालय कारागार, राजस्थान घाटगेट, जयपुर पर उपलब्ध कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, स्केनर, यूपीएस, यूपीएस बैटरी, फैक्स मशीन, इंटरनेट लाईन, फोटो स्टेट मशीन, वाई-फाई की मरम्मत मय पार्ट्स एवं वार्षिक रख-रखाव किये जाने तथा प्रिन्टर्स एवं फोटोस्टेट मशीन में टोनर रिफलिंग हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता:-..........................................

.................................................................................

.................................................................................

दूरभाष संख्या......................... मोबाईल नं................................

**(FORMAT FOR PRICE QUOTATION)**

| Sr. No. | Item Name | Qty. |
|---|---|---|
| A. | **COMPUTER** | 30 |
| B. | **LAPTOP DELL** | 04 |
| C. | **PRINTERS** | |
| 1. | HP LASERJET 1505 | 10 |
| 2. | HP Laserjet Pro 400M401dn | 09 |
| 3. | HP Laserjet Pro MFP128fw | 18 |
| 4. | HP Laserjet 1007/1522 | 02 |
| 5. | Canon LBP6200d | 02 |
| 6. | Colour Printer | 03 |
| D. | **SCANNER** | 03 |
| E. | **UPS :** | |
| 1. | Keptron 700 KV | 06 |
| 2. | 3KVA UPS SYSTEM | 01 |
| 3. | 800 KVA Capacity | 06 |
| 4. | UPS 12 Volt 26 AH MSF | 03 |
| F. | **PHOTO STATE MACHINE SHARP** | 02 |
| G. | **FAX MACHINE** | 01 |
| H. | **WIFI & NETWORKING** | - |

| I. | PRINTERS Toner Refiling | | |
|---|---|---|---|
| | NAME OF PRINTER | Rate of Refiling Per Cartage in Figures | Rate of Refiling Per Cartage in words |
| 1. | HP LASERJET 1505 | | |
| 2. | HP Laserjet Pro 400M401dn | | |
| 3. | HP Laserjet Pro MFP128fw | | |
| 4. | HP Laserjet 1007/1522 | | |
| 5. | Canon LBP6200d | | |
| 6. | Colour Printer | | |
| 7 | Photo State Machine Sharp | | |
| **J.** | **COMPUTER/CPU PARTS** | **Rate of Per Parts/Unit in Figures** | **Rate of Per Parts/ Unit in words** |
| 1. | RAM 2GB KINGSTON | | |
| 2. | KEYBOARD TVS GOLD/Dell | | |
| 3. | MOUSE USB Dell/Prodot | | |
| 4. | DVD WRITER SAMSUNG/LG | | |
| 5. | HARD DISK SATA | | |
| 5. | QUICK HEAL ANTIVIRUS 10 User/3 YEAR | | |
| 6. | QUICK HEAL ANTIVIRUS 1 User/3 YEAR | | |
| **K.** | **PRINTER PARTS** | | |
| 1. | TAFLOAN | | |
| 2. | PRINTER HEAD | | |
| 3. | BANDS | | |
| 4. | WHEELS | | |
| 5. | PAPER PICKUP ROLLER | | |
| 6. | FRASHER ROLLER | | |
| 7. | GEAR | | |
| 8. | FUSER | | |

| L. | TONER PARTS | Rate of Per Parts/Unit in Figures | Rate of Per Parts/Unit in words |
|---|---|---|---|
| 1. | BLADE | | |
| 2. | PCR | | |
| 3. | DRUM | | |
| 4. | MAGNATE ROD | | |
| 5. | CHIP | | |
| **M.** | **PHOTO STATE MACHINE PARTS** | | |
| 1. | BLADE | | |
| 2. | DRUM | | |
| **N.** | **INTERNET LINE/CABLE** | | |
| | CAT 5 (Per Meter) | | |
| | CAT6 (Per Meter) | | |

**RATE OF AMC (Iterm No. A to H)**

Rs. in Figures :-----------------------------------

Rs. in Words : --------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

**Rate of UPS Battery**

Rs. in Figures :-----------------------------------

Rs. in Words :--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

बोलीदाता के हस्ताक्षर

**Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of interest.-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

**(i)** A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of bidder

**Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submitted to ............................................................for procurement of..........................................................................in response to their Notice inviting Bids No.........................................Dated....................................I/we ......................................... hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

**Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is **DG & IG Jail Rajasthna, Jaipur.**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary/Additional Cheif Secretary Home Department Govt. of Rajasthan, Jaipur**.

**(1) Filing an appeal:-**

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

**(2)** The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

**(3)** If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

**(4) Appeals not to lie in certain cases:-**

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement
(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations
(d) Cancellation of a procurement process
(e) Applicability of the provisions of confidentiality+

**(5) Form of Appeals:-**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing Appeal:-**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of Appeal:-**

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies theresof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Signature of bidder

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procuredby placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

## SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1
[see rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012**

Appeal No........................................of ....................................Before the..................................(First/Second Appellate authority)

1- Particulars of appellant :

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2- Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3- Number and date of the order appealed Against and name and designation of the Office/authority who passed the order (Enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4- If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:

5- Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6- Grounds of appeal : ..........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(Supported by an affidavit)

7- Prayer :..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Place :....................

Date : ......................

Appellant's Signature

# महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

## परिशिष्ट–"स"

### खुली प्रतियोगी बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

**नोट**:– बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया**:– बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है ।

2. **राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ईकाई हेतु**:–

(i) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अधीन वर्गीकृत और राजस्थान में स्थित तथा उद्योग विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त "सूक्ष्म" एवं "लघु" उद्यम से क्रय किये जाने के लिए आरक्षित है। आरक्षित उद्यम के अतिरिक्त अन्य बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने पर आरक्षित उद्यम को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। आरक्षित उद्यम से भिन्न बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली की दर का नियमानुसार अनुमोदन किया जावेगा।

(ii) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्मे पात्र मानी जावेगी जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त कर लिया हो।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत् वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली दस्तावेज, प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत पर, बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम का 1 प्रतिशत देय होगी।

(iv) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(v) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 के अनुसार बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज के साथ प्रारूप "ख" में शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का रूप विधान बोली दस्तावेज के संलग्न है।

(vi) वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार अनुसूची में सम्मिलित नही की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को कीमत व क्रय अधिमानता प्रदान की जायेगी। उक्त अधिमानता चाहने के क्रम में स्थानीय उद्यम बोलीदाता द्वारा बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रारूप 'क' मय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नही हो जाते एवं "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबकों बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. **जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र (GST Registration Certificate) :–**

(i) कोई भी बोलीदाता जो जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो पर अपने हस्ताक्षर उपरान्त साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार हस्ताक्षर करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. **दरें :–**

(i) बोली में दरे शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्याकंन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :–

(क) ईकाई मूल्य (Unite Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्याकंन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय मय GST दर अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे ''टैक्स पैड'' ''कर सहित'' ''एज एप्लीकेबल'' का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें जीएसटी के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट जयपुर के भण्ड़ार में दी जाऐगी।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।

(vii) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(xi) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे ।यदि विभिन्न साईज की अलग–अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।

7. **बातचीत (Negotiation) :–**

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नही की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी:–

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्याकंन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

8. **बोली की विधि मान्यता:–**

दरों की वैद्यता बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

9 अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेशिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

10. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

11. **स्पेसिफिकेशन:–**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''ब'' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति–उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओ की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात बोलीदाताओ द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

(iv) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी, जिसमें 05 प्रतिशत तक टोलरेन्स स्वीकार्य है। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12. **निरीक्षण एवं परीक्षण :–**

(i) (A) ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा ।

(B) वित्त विभाग राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय स्थापित है, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।

(iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नही। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभारः– बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे । यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।

(v) निरीक्षण प्रभारः– विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/अनुमोदित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) रद्द करना (Rejection):– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा ।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेंगें। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी ।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्व विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

13. **सैम्पल** :–

(i) वस्तुओं के सैम्पल्स, विभागीय उपापन समिति चाहेगी तो किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से टेस्ट करवा सकेगी। इस संबंध में विभागीय उपापन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल्स की जॉच कराई जाती है तो टेस्टिंग पर होने वाला व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। सैम्पल्स की टेस्टिंग के उपरान्त टेस्ट पर हुए व्यय की राशि बोलीदाता द्वारा जमा कराई जावेगी। यदि कोई बोलीदाता टेस्टिंग चार्जेज की राशि जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति में से टेस्टिंग चार्जेज की राशि काट ली जावेगी।

(ii) प्रत्येक सैम्पल पर बोलीदाता द्वारा सैम्पल का विवरण उपयुक्त रूप से सैम्पल पर लिखकर या सैम्पल के साथ स्लिप पर सैम्पल का विवरण लिखकर सुरक्षित ढंग से बांधकर प्रस्तुत करना होगा तथा बोलीदाता का नाम व आईटम की क्रम संख्या भी अंकित करनी होगी।

(iii) अनुमोदित सैम्पल को संविदा समाप्त होने के बाद 6 माह तक की अवधि या गारण्टी अवधि तक जो बाद में हो, निःशुल्क विभाग में रखा जावेगा। विभाग के पास रही अवधि के दौरान सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट, फूट, परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नही होगी।

(iv) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर बोलीदाता द्वारा नमूना/नमूनों को वापिस लिया जावेगा। विभाग द्वारा सैम्पल को लौटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नही की जावेगी। संविदा समाप्ति के पश्चात यदि 6 से 9 माह की अवधि के भीतर या गारण्टी अवधि की समाप्ति के तीन माह के भीतर (जो बाद में हो) बोलीदाता द्वारा सैम्पल प्राप्त नही किये जाते है तो विभाग द्वारा इनका समपहरण (Forfeiture) कर लिया जावेगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नही किया जावेगा ।

(v) असफल बोलीदाताओं द्वारा अनुमोदित नही किये गऐ सैम्पल एवं बोली प्रतिभूति, विभागीय सूचना के एक माह के भीतर प्राप्त कर लिये जावेंगे। विभाग के पास रहे इन सैम्पल में किसी प्रकार की क्षति, टूट–फूट, या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार या विभाग उत्तरदायी नही होगा। जो सैम्पल निर्धारित अवधि में वापिस नही लिये जावेगे उनका समपहरण (Forfeiture) किया जावेगा तथा उसकी लागत आदि के लिए कोई दावा स्वीकार नही किया जावेगा।

14. **माल की सप्लाई** :–

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसीफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर FOR जयपुर मुख्यालय भेजा जाऐगा ।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

**16. सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 15 दिवस सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

17. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders), संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

18. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :–सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :–**

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 42 के अनुसार बोली प्रतिभूति राशि विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले तथा स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति राशि 0.50 प्रतिशत देय होगी।

(ii) बोली प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर'' के नाम से निम्न रूप में दी जायेगी:–

(अ) नकद रसीद द्वारा या

(ब) नकद– शीर्ष ''8443'' सिविल निक्षेप– 103– प्रतिभूति निक्षेप'' के अन्तर्गत ई–ग्रास चालान से जमा कराई जा सकती है। या

(स) शिडयूल्ड बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के द्वारा जमा कराई जावेगी ।

(iii) **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** (Refund of Bid security):– असफल बोलीदाता/बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति राशि, बोली पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के बाद, यथाशीघ्र लौटाई जाऐगी ।

(iv) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि को नई बोलियों के लिए बोली प्रतिभूति राशि के विरूद्व समायोजित नहीं किया जाऐगा। तथापि मूल रूप से जमा कराई गई बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है। बोली प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

(v) सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति लौटा दी जावेगी।

(vi) **बोली प्रतिभूति का समपहरण** (Forfeiture of Bid Security):– बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :–

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं इनके आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

**20. करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security ) :–**

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए बोली में अंकित कुल अनुमानित राशि की रकम की पॉच प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी एवं उक्त रकम के 0.25 प्रतिशत मय सरचार्ज अधिकतम रूपये 15,000 तक के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि ''महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर'' के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:–

(क) '' ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत निमयों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉं। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

**नोटः**— अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledge की हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाऐगा।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(iv) **<u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण</u>** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):— सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जाऐगाः—

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य निष्पादन राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

(v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाऐगी।

(vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाऐगेः—

(अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।

(ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता,टेलिफोन नम्बर।

(द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र

(vii) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये।

21. **बोली लगाने से विवर्जनः—**

(i) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा, यदि वह —

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के किसी अपराध के लिए दोष किया गया है।

उपर्युक्त के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नही होगा।

(ii) किसी बोली लगाने वाले ने आरटीपीपी एक्ट 2012 की धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया गया है तो उपापन संस्था बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(iii) जहॉ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या संपूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(iv) राज्य सरकार या, यथा स्थिति, उपापन संस्था उपर्युक्त शर्त के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नही करेगी जब तक की ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया हो।

22. **बीमाः—**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्व, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार से इन प्रभारों के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जाऐगी ।

23. **भुगतानः—**

(i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गऐ माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गऐ प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे।

(iii) विवादस्पद आईटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होगे ।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाऐगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damages):—

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैः—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए — 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए — 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

**<u>नोट</u>** :_ प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी।

24. **<u>वसूलियॉ</u>**:–परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट रद्द की गयी वस्तुओ के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाऐगी।

25. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।

26. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नही की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाऐगा । किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

27. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाऐगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाऐगी।

29. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।

30. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।

31. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

32. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।

33. सामान की आपूर्ति महानिदेशालय कारागार राजस्थान, घाटगेट, जयपुर के भण्ड़ार में देनी होगी।

(रूपिन्दर सिंघ)
महानिरीक्षक कारागार–I
राजस्थान, जयपुर

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

**परिशिष्ट "द"**

## महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

## बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/सामानों/जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/थोक विक्रेता/सोल वितरक/अधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट तथा बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है।

मै/हम कारागार विभाग, एवं अन्य किसी भी राजकीय विभाग से ब्लैक लिस्टेड़ नही है। यदि ऐसा पाया जावें तो उसके लिए संबंधित नियमों/कानून के तहत कार्यवाही के लिए सहमत है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर